रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-128/2024/1412/22-2-2024-17(113)/2022
लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर 2024

**आदेश**

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार-2 जिला कारागार, बरेली के सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार (बन्दी संख्या-716/10) पुत्र श्री श्याम लाल, निवासी-ग्राम-मुडिया जगरूप, थाना-भुता, जिला-बरेली, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-437/2007 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302 के अधीन मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-3 बरेली के आदेश दिनांक 28-08-2010 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14-03-2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29-08-2024 तक काटी गयी 15 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 03 माह 17 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-128/2024/1412(1)/22-2-2024 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट बरेली।
3-पुलिस अधीक्षक बरेली।
4-अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2 जिला कारागार बरेली।
5-नोडल अधिकारी/ अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (क्रिमि0)-134/2022 अशोक कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27-08-2024 के सन्दर्भ में।
6-निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।